

ई०पत्रावली संख्या: 12992**प्रेषक,**

डॉ आर०राजेश कुमार, I.A.S.
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग—02**देहरादून, दिनांक: दिसम्बर, 2024**

विषय: वित्तीय वर्ष 2024–25 में जमरानी बांध परियोजना हेतु एन०पी०बी०/भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि भूमि क्रय मद के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 582/प्र०अ०/बजट/बी-1(पुनर्विनियोग)/कैम्प, दिनांक: 13.12.2024 में किये गये अनुरोध के क्रम में शासन के पत्र संख्या-।/264444/2024, दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 द्वारा किये गये पुनर्विनियोग के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूंजीलेखा के अनुदान संख्या-20 जमरानी बांध परियोजना हेतु एन०पी०बी०/भूमि अधिग्रहण हेतु रु० 12742.20लाख (रु० एक सौ सताईस करोड़ बयालीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों तथा मूल शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों एवं अन्य सभी गाईड लाईन्स/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।
- (iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
- (iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (v) धनराशि व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित न हो। अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग न किया जाय।
- (vi) सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें।
- (vii) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- (viii) उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक: 31.03.2025 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाये।

- (x) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाये।
- (xi) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 समय—समय पर यथा संशोधित तथा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 में अनुदान संख्या—20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—80—सामान्य—001—निदेशन तथा प्रशासन—04—जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0बी0/भूमि अधिग्रहण—00—54—भूमि क्रय मद के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग (अनुभाग—2) उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या—I/264617/2024, दिनांक: 30 दिसम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक—अलॉटमेन्ट आई0डी0।

भवदीय,

(डा० आर० राजेश कुमार)
सचिव।

ई० पत्रावली संख्या: 12992, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव—मा० सिंचाई मंत्री जी को मा० सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०डी०सी०सी०, देहरादून।
8. महाप्रबन्धक, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना।
9. वित्त नियंत्रक सिंचाई विभाग, देहादून।
10. वित्त अनुभाग—2 उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे०एल० शर्मा)
संयुक्त सचिव।